फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री प्रकाश पालीवाल निवासी पोस्ट हिरावतों की भागल, भुताला, तहसील बडगांव जिला उदयपुर **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा

– प्रत्यर्थी

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 16 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 23.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक :– सू0अ0 / राजस्व / 2026 / 237 दिनांक 19.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री प्रकाश पालीवाल निवासी पोस्ट हिरावतो की भागल, भुताला तहसील बड़गांव जिला उदयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ग्राम पंचायत भुताला राजस्व ग्राम हिरावतों की भागल में वर्ष 1981 में आबादी भूमि आ0न0 363 के आवंटन से संबंधित रिकॉर्ड की पत्रावली चाही गई है, रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड काफी पुराना होकर जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यालय में राजस्व कर्मचारियो की टीम गठित कर रिकॉर्ड रूम में सभी पुराने दस्तावेज की छानबीन की गई, लेकिन रिकॉर्ड रूम में काफी छान–बीन करने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान में उपलब्ध रिकॉर्ड में उक्त आ0न0 की पत्रावली प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाना खेद प्रकट है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आबादी भूमि आ0न0 363 के आवंटन से संबंधित पत्रावली चाही गई। जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा टीम गठित की गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी पुरानी होने से गठित टीम द्वारा रिकॉर्ड रूम में सभी पुराने दस्तावेजों की छानबीन की गई, परन्तु रिकॉर्ड रूम में काफी छान–बीन करने के उपरान्त भी वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वर्तमान में उपलब्ध रिकॉर्ड में उक्त आ0न0 की पत्रावली प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को इसी स्तर पर निर्णित

किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों/रिकॉर्ड का निरीक्षण करा उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)